

अ.प.नि.

अ.प.नि. (के.का.)
172 CPIO & CGM (J.S.) 11/1/20

प्रपत्र - "क"
नियम 3 (1) देखें

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन - पत्र

आई0 डी0 सं0-
कार्यालय प्रयोग के लिए

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी C.M.D पावर ग्रिड कोठ सो 50 मिठ गुरगाछ
(विभाग/कार्यालय) हरियाणा

- 1 आवेदक का नाम - राम उद्गार सिंह
- 2 पूरा पता - ग्राम- परसौनी, पो- अरैना, थाना+ जिला- सुपौल (मिहर)
माँगी गई सूचना का ब्यौरा-

मेरा पावर ग्रिड सहरषा द्वारा एक षगान का 60 वृक्ष एकत्र दूसरे षगान का 19 फलदार आम का वृक्ष काटा गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा षगान के वृक्ष का मुआवजा कितना तप हुआ एवम् राज्य सरकार के किस पदाधिकारी ने तप किया शाक्ष्य सहित जानकारी दें।

मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी में माँगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा - 8 एवं 9 के अन्तर्गत नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है।

- 5 (1) मैंने 10 रुपये शब्दों में दस दिनांक की रसीद सं० से विभाग / कार्यालय में भुगतान किया है।
- (2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश सं० दिनांक जो पदाधिकारी के पक्ष में भुगतान बैंक द्वारा जारी की गयी है फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
- (3) मैंने रुपये का ननजूडिसियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया हूँ। संवाद कर दिया हूँ।
- (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ मेरा कार्ड वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

ER-I
राम उद्गार सिंह
सुपौल

स्थान सुपौल
दिनांक 7/1/22

आवेदक
राम उद्गार सिंह
ई- मेल पता अगर कोई होतो
दूरभाष सं०/ कार्यालय / आवास
मो० 8210299924
आवेदक के पत्राचार का पूरा पता
राम उद्गार सिंह

ग्राम- परसौनी, पो- अरैना, थाना+ जिला

प्रपत्र - "क"
नियम 3 (1) देखें

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन - पत्र

आई० डी० सं०-
कार्यालय प्रयोग के लिए

सेवा में, CMD पावर ग्रिड से० ओ० डी० ५० मि० गुरु ज्ञान हरिणा
लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय)

- 1 आवेदक का नाम - राम उद्गार सिंह
2 पूरा पता - ग्राम-परसौनी, पो०-अरैल, बाना+जिला-सुपौल (मिहार)
माँगी गई सूचना का ब्यौरा-

मेरा पावर ग्रिड सदस्यता द्वारा एक बंगाल का 60 वृक्ष एवम् दूसरे बंगाल का 19 फलदार आम का वृक्ष काटा गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बंगाल के वृक्ष का मुआवजा कितना तय हुआ एवम् राज्य सरकार के सित पदाधिकारी ने तय किया शास्य सहित जानकारी दे।

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी में माँगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा - 8 एवं 9 के अन्तर्गत नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है।

- 5 (1) मैंने 10 रुपये शब्दों में दस दिनांक की रसीद सं० से विभाग / कार्यालय में भुगतान किया है।
(2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश सं० दिनांक जो पदाधिकारी के पक्ष में भुगतये बैंक द्वारा जारी की गयी है फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
(3) मैंने रुपये का ननजूडिसियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया हूँ। संवाद कर दिया हूँ।
(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ मेरा कार्ड वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

स्थान सुपौल
दिनांक 3/1/22

आवेदक
राम उद्गार सिंह
ई-मेल पता अगर कोई होतो
दूरभाष सं०/ कार्यालय / आवास
मो० 8210299924
आवेदक के पत्राचार का पूरा पता

ग्राम-परसौनी, पो०-अरैल, बाना+जिला-सुपौल (मिहार)

प्रपत्र - "क"
नियम 3 (1) देखें

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन - पत्र

आई० डी० सं०-
कार्यालय प्रयोग के लिए

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग / कार्यालय)

- CMD पावर गिड कोठ सो० 50 मि०
गुरु ज्ञान हरिभाणा
- 1 आवेदक का नाम - राम उदगार सिंह
 - 2 पूरा पता - ग्राम - परसौनी, पो० - करैम, थाना + जिला - सुपौल (बिहार)
माँगी गई सूचना का ब्यौरा -

मेरा पावर गिड सदरवा द्वारा एक थगान का 60 वृक्ष एकत्र इक्षर थगान का 19 फलदार आम का वृक्ष काट गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा वृक्ष का मुआवजा कितना तय हुआ एकत्र राज्य सरकार के किल पदाधिकारी ने तय किया शाह्य सहित जानकारी दें।

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी में माँगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा - 8 एवं 9 के अन्तर्गत नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है।

- 5 (1) मैंने 10 रुपये शब्दों में 50 दिनांक की रसीद सं० से विभाग / कार्यालय में भुगतान किया है।
(2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश सं० दिनांक जो पदाधिकारी के पक्ष में भुगतते बैंक द्वारा जारी की गयी है फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
(3) मैंने रुपये का ननजूडिसियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया हूँ। संवाद कर दिया हूँ।
(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ मेरा कार्ड वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

स्थान सुपौल
दिनांक 3/1/22

आवेदक
राम उदगार सिंह
ई- मेल पता अगर कोई होतो
दूरभाष सं० / कार्यालय / आवास
मो० 9210299924
आवेदक के पत्राचार का पूरा पता

ग्राम - परसौनी पो० करैम
थाना + जिला - सुपौल, बिहार

(भारत सरकार का एक उद्यम)

पता: बी -9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराई, नई दिल्ली-110 016
विद्युत अधिनियम, 2003 सह पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत नोटिस

पुस्तक संख्या: 01

नोटिस संख्या: 39
दिनांक: 01/07/20

पारेषण लाईन का नाम/सेक्शन : लिलो ऑफ 400 के०वी० डी०सी० (क्वाड) किशनगंज (पावरग्रिड) -दरभंगा (डी०म०टी० सी०एल०) पारेषण लाइन का सहरसा उपकेन्द्र तक विद्युत पारेषण अनुमोदन संदर्भ : 15/03/2018-TRANS-Pt(2) दिनांक :-15.01.2020

सेवा में,
नाम Ram Udgar Singh पिता / पति का नाम U. Arant Pt. Singh गांव Parsauri पोस्ट Parsauri
ब्लॉक / तहसील Suptari जिला Suptari पिन 85110 मोबाइल नंबर 8210299924

खातासंख्या : आई०फ०एस०सी०कोड:- बैंक का नाम:-
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 भाग -III के अंतर्गत भारत के असाधारण आधिकारिक राजपत्र की अधिसूचना सं. एस ओ 1148 दिनांक 24.12.2003 के तहत टेलीग्राफ अधीनस्थों की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के अंतर्गत, आपको यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त लाईन आपकी संपत्ति / संपत्तियों, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, से होकर गुजरेगी। यद्यपि ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के दौरान "राइट ऑफ वे" (ROW) में मौजूद पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे, फिर भी "राइट ऑफ वे" में पेड़ों की कुछ न्यूनतम अपरिहार्य क्षति हो सकती है। सभी वृक्षों की क्षति का मुआवजा राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित या तय आकलन के आधार पर दिया जाएगा।

संपत्ति का ब्यौरा:
लाभार्थी का नाम: Ram Udgar Singh गांव का नाम : Parsauri
(मालिक / किरायेदार / बंटाईदार): Suptari ब्लॉक / सर्किल / तहसील :
पिता / पति का नाम: U. Arant Pt. Singh जिला का नाम: Suptari
सर्वे / प्लॉट / खसरा सं: 244/20/422, 415, 411 लाभार्थी का आधार संख्या :
वृक्षों का विवरण *: 05 वृक्ष 15 डिसेंमिटर

| क्रम सं. | स्थान/सेक्शन | वृक्षों की प्रजाति | लगभग आयु (वर्ष) | परिधि (जमीन के ऊपर 1 मीटर) | ऊचाई (मीटर में) | संख्या ** | कार्यकलाप का विवरण फाउंडेशन/इरेक्शन / स्ट्रिंगिंग/ अन्य | टिप्पणी |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------|---|---------|
| | <u>70-7/100 SW</u> | <u>Mango</u> | | | | | | |
| <u>Tree Details inside side of notice No. - 01/21</u> | | | | | | | | |

** अधिक पेड़ के मामले में, इस तरह के विवरण के साथ तालिका संलग्न की जाये

अभिरक्षीकृति

राजेश कुमार मंडल
कनीय अभियंता
पावर ग्रिड/सहरसा

रोहित कुमार
ROHIT KUMARI रोहित कुमार
कनीय अभियंता
पावर ग्रिड/सहरसा


पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
कनीय अभियंता
पावर ग्रिड/सहरसा

(नाम के साथ हस्ताक्षर) (जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर) (कार्यपालक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानीय संबंधित राजस्व अधिकारी)
स्वामी / लाभार्थी / प्रतिनिधि नाम / मुहर नाम / मुहर
प्रतिलिपि: स्थानीय / संबंधित राजस्व अधिकारी


Tree Details between Location NO:- 7/1-7/1,
 Loop IN.

1. Mango - 153 cm, 67 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 86 cm,
 120 cm, 130 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 7
 60 cm, 56 cm, 80 cm, 65 cm, 72 cm, 121 cm
 120 cm, 66 cm, 52 cm, 53 cm, 40 cm, 127
 70 cm, 72 cm, 80 cm, 50 cm, 50 cm, 7
 80 cm, 89 cm, 68 cm, 53 cm, 61 cm, 55
 71 cm, 95 cm, 126 cm, 58 cm, 70 cm
 70 cm, 50 cm, 48 cm, 50 cm, 50 cm, 6
 67 cm, 76 cm, 92 cm, 62 cm, 72 cm,
 70 cm, 70 cm, 12 cm, 30 cm, 35 cm,
 25 cm.

Total = 60 (Sixty Nos).


 अ/अ/अ

वसंत कुमार
 कर्नाय अभियंता
 पावर ग्रिड/सहरसा


 अ/अ/अ

ROHIT KUMAR/ रोहित
 Engineer/ अभि
 Power Grid/ पावर
 Saharsa/ सहर

पुस्तक संख्या: 01

नोटिस संख्या: 4/0

दिनांक: 14/0

पारेषण लाइन का नाम/सेक्शन : लिलो ऑफ 400 के०वी० डी०सी० (क्वाड) किशनगंज (पावरग्रिड) -दरभंगा (डी०म०टी० सी०एल०) पारेषण लाइन का सहरसा उपकेन्द्र तक विद्युत पारे
अनुमोदन संदर्भ : 15/03/2018-TRANS-Pt(2) दिनांक :-15.01.2020

सेवा में **Singh Lt. Anant Pd. Singh Parsauri**
नाम **Ram Udgar** पिता / पुत्र का नाम गांव **Parsauri** पोस्ट **Bary**
ब्लॉक / तहसील **Suban** जिला **Suban** पिन **857130** मोबाइल नंबर.....

खातासंख्या : आई०फ०एस०सी०कोड:- बैंक का नाम:-
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 भाग -II के अंतर्गत भारत के असाध
आधिकारिक राजपत्र की अधिसूचना सं. एस ओ 1148 दिनांक 24.12.2003 के तहत टेलीग्राफ अथॉरिटी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के अंतर्गत, आपको यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ल
आपकी संपत्ति / संपत्तियों, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, से होकर गुजरेगी। यद्यपि ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के दौरान "राइट ऑफ वे" (ROW) में मौजूद पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभा
प्रयास किये जायेंगे, फिर भी "राइट ऑफ वे" में पेड़ों की कुछ न्यूनतम अपरिहार्य क्षति हो सकती है। सभी वृक्षों की क्षति का मुआवजा राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित
तय आकतन के आधार पर दिया जाएगा।

संपत्ति का ब्यौरा: गांव का नाम : **Parsauri**
लाभार्थी का नाम: **Ram Udgar Singh** ब्लॉक / सर्किल/ तहसील : **Suban**
(मालिक / किरायेदार / बंटाईदार): जिला का नाम: **Suban**
पिता / पति का नाम: **Lt. Anant Pd. Singh.** लाभार्थी का आधार संख्या :
सर्वे / प्लॉट / खसरा सं: **432/3822**

वृक्षों का विवरण :-

| क्रम सं. | स्थान/सेक्शन | वृक्षों की प्रजाति | समय आयु (वर्ष) | परिधि (जमीन के ऊपर 1 मीटर) | ऊचाई (मीटर में) | संख्या ** | कार्यकलाप का विवरण फाउंडेशन/इरेक्शन / स्ट्रिंगिंग/ अन्य | टिप्पणी |
|----------|------------------------|--------------------|----------------|---|-----------------|-----------|---|---------|
| | 6/1-7/0 Loop IN | Mango | 1.00 | 125 cm, 113 cm, 110 cm, 103 cm, 1.00 cm, 55 cm, 50 cm, 115 cm, 125 cm, 135 cm, 119 cm, 98 cm, 118 cm, 98 cm, 19: 45 cm, 44 cm, 72 cm | | | | |

Total = 19 (Nineteen) ** अधिक पेड़ के मामले में, इस तरह के विवरण के साथ तालिका संलग्न की जा
वास्ते- पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अभिस्वीकृति

राम उदगार सिंह

(नाम के साथ हस्ताक्षर) (जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर) (कार्यपालक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) (स्थानीय / संबंधित राजस्व अधिकारी)
स्वामी / लाभार्थी / प्रतिनिधि नाम / मुहर नाम / मुहर नाम / मुहर
प्रतिलिपि: स्थानीय / संबंधित राजस्व अधिकारी